



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022022-233043
CG-DL-E-01022022-233043

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 92]
No. 92]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 1, 2022/माघ 12, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 1, 2022/ MAGHA 12, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 1 फरवरी, 2022

सं. 01/2022-सीमाशुल्क (सीवीडी)

सा.का.नि. 92(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ (सहायकी, वस्तु की पहचान, उस पर प्रतिशुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 20 और 22 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9 की उपधारा (1) और (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 01/2017-सीमाशुल्क (सीवीडी), तारीख 07 सितंबर, 2017 जो सं. सा.का.नि. 1137(अ), तारीख 07 सितंबर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, का विखंडन करती है।

[फा.सं. 334/01/2022-TRU]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, संख्यांक 01/2017-सीमा-शुल्क (सीवीडी), तारीख 07 सितंबर, 2017 संख्यांक सा.का.नि. 1137(अ), तारीख 07 सितंबर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में

प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक 05/2021 सीमा-शुल्क (सीबीडी) तारीख 30 सितंबर, 2021 द्वारा अंतिमबार संशोधित की गई थी जो संख्यांक सा.का.नि. 684(अ), तारीख 30 सितंबर, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2022

No. 01/2022-Customs (CVD)

G.S.R. 92(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (6) of section 9 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with rules 20 and 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 01/2017-Customs (CVD), dated the 7th September, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1137(E), dated the 7th September, 2017, except as respect things done or omitted to be done before such rescission.

[F.No. 334/01/2022-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.